

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; AND MINISTER OF POWER (SHRI MANOHAR LAL): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demand for Grants of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2025-2026.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2025-2026.

[Placed in Library, See No. LT 1961/18/25]

? (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 182 of the Electricity Act, 2003:-
 - (i) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2024 published in Notification No. JERC-32/2024 in Gazette of India dated 20th November, 2024.
 - (ii) The Joint Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024, published in Notification No. JERC-33/2024 in Gazette of India dated 20th November, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 1962/18/25]

- (2) A copy of the Notification No. S.O.5337(E) (Hindi and English version) published in Gazette of India dated 10th December, 2024, making certain amendments in the Notification No. S.O. 185(E) dated 12th

January, 2009 issued under section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library, See No. LT 1963/18/25]

? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE): Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre Durg, Chhattisgarh, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre Durg, Chhattisgarh, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1964 /18/25]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatama Gandhi Institute of Rural Industrialization, Wardha, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatama Gandhi Institute of Rural Industrialization, Wardha, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1965/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre, Imphal, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre, Imphal, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1966/18/25]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre, Baddi, Solan, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre, Baddi, Solan, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1967/18/25]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre, Bengaluru, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1968/18/25]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Bhubaneswar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Bhubaneswar, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1969/18/25]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Indo Danish Tool Room), Jamshedpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Indo Danish Tool Room), Jamshedpur, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1970/18/25]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME- Tool Room, (Central Tool Room & Training Centre), Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME- Tool

Room, (Central Tool Room & Training Centre), Kolkata, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1971/18/25]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME - Tool Room (Tool Room and Training Centre), Guwahati, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME - Tool Room (Tool Room and Training Centre), Guwahati, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1972/18/25]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Aurangabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Aurangabad, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1973/18/25]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Indore, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME - Tool Room (Indo German Tool Room), Indore, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1974/18/25]

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME ? Tool Room (Indo German Tool Room), Ahmedabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME ? Tool Room (Indo German Tool Room), Ahmedabad, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1975/18/25]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Institute of Hand Tools), Jalandhar, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Institute of Hand Tools), Jalandhar, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1976/18/25]

- (14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Institute of Tool Design),

Hyderabad, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Institute of Tool Design), Hyderabad, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1977/18/25]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Mumbai, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1978/18/25]

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Electronics Service & Training Centre, Ramnagar, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Electronics Service & Training Centre, Ramnagar, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1979/18/25]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Process and

Product Development Centre), Agra, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Process and Product Development Centre), Agra, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1980/18/25]

- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Process Cum Product Development Centre), Meerut, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Process Cum Product Development Centre), Meerut, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1981/18/25]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Centre for the Development of Glass Industry), Firozabad, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Centre for the Development of Glass Industry), Firozabad, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1982/18/25]

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Fragrance & Flavour Development Centre), Kannauj, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Fragrance & Flavour Development Centre), Kannauj, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1983/18/25]

- (21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Agra, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Agra, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1984/18/25]

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Chennai, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Chennai, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1985/18/25]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, Mumbai, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, Mumbai, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1986/18/25]

- (24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of MSME- Tool Room, (Central Tool Room), Ludhiana, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME- Tool Room, (Central Tool Room), Ludhiana, for the year 2023-2024.

[Placed in Library, See No. LT 1987/18/25]

? (Interruptions)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.4959(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में एनएच-87

(नया एनएच-9, 109) के किमी. 42.791 (डिजाइन चेनेज 43.446) से किमी. 88.000 (डिजाइन चेनेज 93.226) तक रामपुर-काठगोदाम खंड की 2/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ.4960(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पठानकोट-मंडी खंड के एनएच-20 (नया एनएच-154) के किमी 11.000 से किमी 51.000 (डिजाइन लंबाई 37.03 किमी) तक पंजाब/हिमाचल सीमा से सिहुनी तक चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ.4961(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45 (नया एनएच-32) के किमी 29.151 से शुरू होकर एनएच-4 (नया एनएच-48) के किमी 13.800 पर जुड़ने (चेन्नई बाईपास चरण-I) और एनएच-4 (नया एनएच-48) के किमी 13.800 से शुरू होकर एनएच-5 (नया एनएच-16) के किमी 12.600 पर जुड़ने (चेन्नई बाईपास चरण-II) के चार लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ.4962(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा और राजस्थान राज्य में एनएच-48 के किमी 42.700 से किमी 237.000 तक गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर खंड की छह लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पाँच) का.आ.4963(अ) जो दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45ए (नया एनएच-32) के डिजाइन किमी 67.000 से किमी 123.800 तक पूंडियांकुप्पम से सत्तानाथपुरम खंड की चार या

अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ.5065(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752डी के डिजाइन चैनेज 31.972 से डिजाइन चैनेज 168.073 तक (उज्जैन-गरोठ खंड एनएच-148एनजी के पुराने डिजाइन चैनेज(-)0.750 से चैनेज 0.000 और चैनेज 0.000 से चैनेज 135.351 तक) चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ.5070(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353आई के किमी 0.500 से किमी 22.225 (कुल लंबाई 21.757 किमी) खंड और एनएच-53 के किमी 22.225 से किमी 34.000 (कुल लंबाई 11.743) खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग (बाहरी रिंग रोड) नागपुर शहर (पैकेज-1) की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ.5071(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965जी के डिजाइन चैनेज किमी 41.369 से किमी 83.500 तक बारामती-इंदापुर खंड की चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ.5072(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-69 (नया एनएच-46) के किमी 0.000 से किमी 61.500 तक रातापानी खंड सहित ओबेदुल्लागंज से इटारसी खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (दस) का.आ.5073(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45सी (नया एनएच-36) के सेठियाथोपे-चोलपौरम खंड के डिजाइन किमी 65.960 से किमी 116.440 (मौजूदा किमी 60.250 से किमी 111.000) तक चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ.5164 (अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965जी के डिजाइन चैनेज किमी 83.500 से किमी 130.202 तक इंदापुर-टोंडले खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का.आ.5165(अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में एनएच-1ए (नया एनएच-44) के किमी 154.210 से किमी 205.618 तक मारुग-बनिहाल-काजीगुंड खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 1988/18/25]

- (तेरह) का.आ.5166 (अ) जो दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-744ए के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 29.960 तक (एनएच-44 के मौजूदा किमी 410.200 से एनएच-38 के किमी 115.800 तक) वाडीपट्टी से थमराइपट्टी खंड के चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का.आ.5246 (अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548ई के डिजाइन किमी 0.00 से किमी 53.08 (मौजूदा

किमी 88.200 से किमी 234.600) तक म्हासवद-पिलिव-पंढरपुर खंड के पक्के शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.5247 (अ) जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-209 के डिजाइन चैनेज किमी 287.500 से किमी 458.420 तक (मौजूदा चैनेज किमी 287.520 से 461.550 तक) बीआरटी टाइगर रिजर्व सीमा से बेंगलोर खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ.5295(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में एनएच-703ए के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 24.600 तक मखू-आरिफके खंड पर पक्के शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में हैं।

(सत्रह) का.आ.3250(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-248एस की घोषणा के बारे में है।

(अठारह) का.आ.3908(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 3911(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ.3912(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में नए राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या एनई-8 की घोषणा के बारे में है।

- (इक्कीस) का.आ.4082(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का.आ.4083(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेईस) का.आ.4084(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौबीस) का.आ.4085(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का.आ.4352(अ) जो दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग 719डी की घोषणा की गई है।
- (छब्बीस) का.आ.4562(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.694(अ) को निरस्त किया गया है।
- (सत्ताईस) का.आ.4563(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-52 की घोषणा की गई है।

- (अट्ठाईस) का.आ.4564(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (उनतीस) का.आ.4721(अ) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम उसमें उल्लिखित एनएच-10 के खंडों के विकास और रखरखाव से संबंधित कार्य करेगा ।
- (तीस) का.आ. 4722(अ) जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (इकतीस) का.आ. 3910(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

[Placed in Library, See No. LT 1989/18/25]

- (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.3255(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है ।
- (दो) का.आ.3256(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.1667(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

- (तीन) का.आ.3257(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1667(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (चार) का.आ.3258(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एनएच-7 के खंडों को पंजाब राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (पाँच) का.आ.3259(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (छह) का.आ.3260(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित एनएच-56 के खंड को गुजरात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है ।
- (सात) का.आ.3261(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (आठ) का.आ.3462(अ) जो दिनांक 14 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (नौ) का.आ.3463(अ) जो दिनांक 12 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (दस) का.आ.3909(अ) जो दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित

एनएच-146बी के खंड को मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(ग्यारह) का.आ.4086(अ) जो दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए एनएच-53, नए एनएच-353आई और नए एनएच-61 के खंडों को महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बारह) का.आ. 4087(अ) जो 12 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 4088(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.6016(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ. 4089(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जून, 2024 की अधिसूचना सं. का.आ. 2265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ. 4090(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.3096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ. 4091(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1055(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ. 4092(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.4145(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 4093(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवंबर, 2005 की अधिसूचना

सं. का.आ.1585(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 4094(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 मई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 724(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 4095(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितंबर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2727(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 4096(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 04 मई, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 994(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ. 4097(अ) जो 20 सितंबर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 863(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.5010(अ) जो दिनांक 20 सितंबर, 2024 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-719डी के उसमें उल्लिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

[Placed in Library, See No. LT 1990/18/25]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2023-2024.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 1991/18/25]

? (Interruptions)

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : माननीय सभापति महोदय, श्री तोखन साहू की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह ?ग? पद) भर्ती नियम, 2024, जो 29 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 738(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1992/18/25]

- (2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1993/18/25]

(4) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 1994/18/25]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, एर्णाकुलम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, एर्णाकुलम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 1995/18/25]

? (व्यवधान)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1996/18/25]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप लोग बैठिए । सदन चलाने में आप लोग मदद कीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप लोग सदन चलाना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

-

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

? (व्यवधान)

14.02 hrs